भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. +5084

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/14 चैत्र, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

कर्नाटक में विरासत स्थलों का विकास

+5084. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पाः

श्री एस. मुनिस्वामीः

श्री जी.एम. सिद्देश्वरः

श्री अण्णासाहेब शंकर जाल्लेः

श्री प्रताप सिम्हाः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय कर्नाटक को जोग प्रपात, कुर्ग, मैसूर, गोल गुंबज, वन्यजीव अभयारण्यों, समुद्र तटों, हम्पी, ऐनेगुंडी और कई अन्य विरासत स्थलों और दर्शनीय सुन्दरता के साथ पर्यटन स्थल के रूप में देखता है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार इस मामले में राज्य सरकार के साथ क्या कदम उठाने का विचार रखती है;

(ग) क्या कर्नाटक राज्य में विरासत स्थलों, प्राचीन महत्व के स्थानों और कुछ अनदेखे स्थलों को और विकसित करने के लिए राज्य और केंद्र के बीच एक संयुक्त उद्यम है;

(घ) क्या मंत्रालय आगामी वित्तीय वर्ष में देश भर में और विशेष रूप से कर्नाटक में पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए एक निजी प्रतिभागी और सरकारी मोड्यूल पर विचार कर रहा है; और

(ङ) उन विभिन्न तरीकों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सरकार पर्यटन में वृद्धि की उम्मीद करती है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों के सहयोग से पूरे भारत में पर्यटन स्थलों/परिपथों को विकसित करने और उनका संवर्धन करने के लिए स्वदेश दर्शन (एसडी) और तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान (प्रशाद) जैसी विभिन्न बुनियादी संरचना विकास योजनाएं आरम्भ की हैं ।

कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त नामांकन के अनुसार, चामुंडेश्वरी देवी मंदिर, मैसूर को पहले ही प्रशाद योजना के तहत तीर्थ पर्यटन बुनियादी संरचना के विकास की योजना में शामिल किया जा चुका है ।

स्वदेश दर्शन (एसडी) योजना का उद्देश्य भारत में पर्यटन की क्षमता को बढ़ावा देना, विकसित करना और उसका दोहन करना है । इस योजना के तहत, पर्यटन मंत्रालय परिपथों की बुनियादी संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।

(ग) और (घ): पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने "एक विरासत अपनाएं: अपनी धरोहर, अपनी पहचान" परियोजना शुरू की है जो भारत भर में फैले विरासत/प्राकृतिक/पर्यटक स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को नियोजित और चरणबद्ध तरीके से पर्यटन अनुकूल बनाने और विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों का एक सहयोगी प्रयास है ।

परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ट्रस्टों, गैर सरकारी संगठनों, एकल व्यक्तियों और अन्य हितधारकों की कंपनियों को 'स्मारक मित्र' बनने के लिए प्रोत्साहित करना है और इन स्थलों पर उनकी रुचि और कॉर्पोरेट की सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत एक स्थायी निवेश मॉडल के संदर्भ में व्यवहार्यता के अनुसार बुनियादी और उन्नत पर्यटक सुविधाओं के विकास और उन्नयन की जिम्मेदारी लेना है । वे इसका संचालन और रखरखाव भी देखेंगे ।

परियोजना के तहत, भारत भर में सत्ताईस (27) स्थलों और दो (2) तकनीकी हस्तक्षेपों के लिए 15 स्मारक मित्रों के साथ 29 समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किए गए हैं ।

"एक विरासत अपनाएं'' परियोजना के तहत, - हम्पी और हजारा राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, उग्र नरसिम्हा मंदिर, बडाविलिंग मंदिर, हाथी खाना, पट्टाभिराम मंदिर और जनाना बाग (कमल महल) - हम्पी में 7 स्थलों पर सुविधाओं के विकास, उन्नयन और रखरखाव के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं । कर्नाटक में गोल गुंबज में सुविधाओं के विकास, उन्नयन और रखरखाव के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रक्रियाधीन है ।

(ड़): पर्यटन मंत्रालय कर्नाटक सहित भारत का एक समग्र गंतव्य के रूप में संवर्धन करता है । अपनी चल रही गतिविधियों के एक अंग के रूप में, यह विदेशों में "अतुल्य भारत" ब्रांड-लाइन के तहत देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों की, "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार "(डीपीपीएच) और "बाजार विकास सहायता सहित विदेश संवर्धन और प्रचार" (ओपीएमडी) की योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण और संभावित बाजारों में वैश्विक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान जारी करता है, यात्रा

मेलों/प्रदर्शनियों, पर्यटन संबंधी सम्मेलनों/सेमिनारों/सम्मेलनों, रोड शो और प्रचार के लिए अन्य प्रचार गतिविधियों में भाग लेता है । मंत्रालय के वेबसाइट (www.incredibleindia.org) और सोशल मीडिया खातों के माध्यम से भी नियमित रूप से प्रचार-प्रसार किया जाता है ।

पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति, कम ज्ञात स्थलों, स्थानीय गंतव्य के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जनवरी 2020 में ''देखो अपना देश'' पहल शुरू की है । इस पहल के अंतर्गत मंत्रालय देश और इसके पर्यटन स्थलों/उत्पादों के बारे में जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वेबिनार, ऑनलाइन प्रतिज्ञा और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जैसी प्रचार गतिविधियां कार्यान्वित कर रहा है । देखो अपना देश पहल को मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट और घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है ।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एंड एफडब्ल्यू) के कोविड संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंध में छूट दी है । 15 नवंबर 2021 से ई-पर्यटक वीजा/पर्यटक वीजा उन सभी एकल विदेशी नागरिकों के लिए पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है जो पर्यटन उद्देश्यों के लिए भारत आने का इरादा रखते हैं । दीर्घ अवधि के पर्यटक वीजा/ई-पर्यटक वीजा को भी बहाल कर दिया गया है । इसके अलावा, भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए पहले 500,000 मुफ्त वीजा शुल्क की घोषणा की है ।

विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के विपणन विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम में अनुमोदित पर्यटन सेवा प्रदाताओं और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विदेशी बाजारों में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है । दीर्घ अवधि के पर्यटक वीजा/ई-पर्यटक वीजा को भी बहाल कर दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए नवंबर, 2020 में घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशानिर्देशों को संशोधित किया है । दिशानिर्देशों के अनुसार, हितधारकों को घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है । अब राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं ।

*****